"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जून 2014—ज्येष्ठ 30, शक 1936

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2014

क्रमांक ई 1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा (भा.प्र.से.-2002), कलेक्टर दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पंचायत के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री आर. प्रसन्ना (भा.प्र.से.-2004), संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

3. श्री अनिल टुटेजा (भा.प्र.से.-2004), आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है. साथ ही श्री टुटेजा को प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

4. श्री निरंजन दास (भा.प्र.से.-2004), संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, गरियाबंद के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री अमित कटारिया (भा.प्र.से.-2004), कलेक्टर, गरियाबंद की सेवाएं आवास एवं पर्यावरण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के पद पर पदस्थाना हेतु सौंपी जाती है. साथ ही श्री कटारिया को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

6. श्री उमेश अग्रवाल (भा.प्र.से.-2005), संयुक्त सचिव, ऊर्जा, सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. श्रीमती आर. शंगीता (भा.प्र.से.-2005), कलेक्टर, महासमुन्द को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री नरेन्द्र दुग्गे (रा.प्र.से.-1994), उपायुक्त (राजस्व) दुर्ग की सेवाएं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

9. श्री जन्मेजय मोहबे (रा.प्र.से.-1998), प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम की सेवाएं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से वापस लेते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, राजभवन सचिवालय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2004) संयुक्त सचिव, गृह, परिवहन विभाग, संचालक, संपदा तथा पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, सुकमा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री ए. के. टोप्पो, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2004), कलेक्टर, सुकमा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही श्री टोप्पो को परिवहन विभाग, संचालक, संपदा तथा पंजीयक, फर्म एवं संस्थाएं का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्री संजीव कुमार झा, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2011) अनुविभागीय अधिकारी, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नारायणपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही श्री झा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक ढांड, मुख्य सचिव.**

---

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2014

क्रमांक एफ 6-41/2011/1/एक.—राज्य शासन एतदद्वारा मान. प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 21-07-2014 से 02-08-2014 तक (13 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश पूर्व 19 एवं 20-07-2014 एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 03-08-2014 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
जी. आर. चुरेन्द्र, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक एफ 01-49/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, भापुसे (2001) पुलिस अधीक्षक, जिला दुर्ग (छ.ग.) को दिनांक 26-05-2014 से दिनांक 31-05-2014 (06 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 मई एवं 01 जून 2014 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. छाबड़ा आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. छाबड़ा को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. डॉ. छाबड़ा, भापुसे (2001) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, दुर्ग का चालू प्रभार श्री प्रखर पाण्डेय, सेनानी, 7वीं वाहिनी छसबल, भिलाई को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. छाबड़ा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2014

क्रमांक एफ 07-16/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टी. एक्का (भापुसे) पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., राजनांदगांव (छ.ग.) को दिनांक 26-05-2014 से दिनांक 07-06-2014 (13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 मई एवं 08 जून 2014 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एक्का आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एक्का को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एक्का (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री एक्का, पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस., राजनांदगांव के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, पी.टी.एस. राजनांदगांव का चालू प्रभार श्री टी. आर. पैकरा, सेनानी, 8वीं वाहिनी छसबल, राजनांदगांव को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक एफ 07-11/2014/एक-14/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04-04-2014 द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता, (भापुसे-1994) आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 26-05-2014 से दिनांक 07-06-2014 (13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

5. राज्य शासन द्वारा श्री गुप्ता के उक्त अवकाश अवधि में आयुक्त-सह-संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) का चालू प्रभार श्री संतोष मिश्रा (भाप्रसे-टीएन 2000) प्रबंध संचालक, छ.ग. पर्यटन मंडल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कौशल उन्नयन मिशन, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2014

क्रमांक एफ 07-17/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नरेन्द्र खरे (भापुसे-2004) पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा (छ.ग.) एवं सेनानी, 9वीं वाहनी छसबल, दंतेवाड़ा (अति. प्रभार) को दिनांक 02-06-2014 से दिनांक 12-06-2014 (11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01, 13, 14 एवं 15 जून 2014 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खरे, आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा एवं सेनानी 9वीं वाहिनी छसबल, दंतेवाड़ा (अति. प्रभार) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खरे को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खरे (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री नरेन्द्र खरे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा एवं सेनानी, 9वीं वाहनी छसबल, दंतेवाड़ा (अति. प्रभार) के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा का चालू प्रभार श्री एस.आर. भगत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा को एवं सेनानी, 9वीं वाहिनी छसबल, दंतेवाड़ा का चालू प्रभार श्री आर. एन. बघेल, उप सेनानी, 9वीं वाहिनी छसबल, दंतेवाड़ा को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2014

क्रमांक एफ 07-18/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सदानन्द कुमार (भापुसे-2010) पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार (छ.ग.) को दिनांक 30-05-2014 से दिनांक 28-06-2014 (30 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29 जून 2014 के शासकीय अवकाश (रविवार) का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सदानन्द कुमार आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार (छ.ग.) के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सदानन्द कुमार को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सदानन्द कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सदानन्द कुमार, पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार का चालू प्रभार श्री ओ.पी. पाल, पुलिस अधीक्षक, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मुकुन्द गजभिये**, अवर सचिव.

---

## वित्त तथा योजना विभाग

### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2014

क्रमांक 286/ब-4/चार/2014.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनिल कुमार, आय.ए.एस. (से.नि.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जाएंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**डी. एस. [illegible]**, अपर मुख्य सचिव.

## संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जून 2014

क्रमांक आर 696/140/टीएल/30/सं./12.—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-9/30/सं./10, दिनांक 28-03-2012 एवं सहपठित आदेश क्रमांक एफ 1-9/30/सं./10, दिनांक 30-04-2012 द्वारा डॉ. सुशील त्रिवेदी, साहित्यकार, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य जिला गजेटियर लेखन तथा प्रकाशन की राज्य स्तरीय समिति के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, को राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सुशील त्रिवेदी का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 जून 2014

क्रमांक आर 702/140/टीएल/30/सं./12.—छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक आर 696/140/टीएल/30/सं./12 दिनांक 03-06-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-9/30/सं./10, दिनांक 28-03-2012 एवं सहपठित आदेश क्रमांक एफ 1-9/30/सं./10, दिनांक 30-04-2012 द्वारा डॉ. सुशील त्रिवेदी, साहित्यकार, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य जिला गजेटियर लेखन तथा प्रकाशन की राज्य स्तरीय समिति के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सुशील त्रिवेदी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य जिला गजेटियर लेखन तथा प्रकाशन का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दुर्गा देवांगन, अवर सचिव.**

---

## आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2014

क्रमांक एफ-10-63/25-1/2008.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-02-2009 द्वारा श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, रायपुर नियुक्त किया गया था. तत्पश्चात् पुन: विभागीय आदेश दिनांक 18-05-2010, 10-05-2011, 25-05-2012 एवं 02-05-2013 द्वारा श्री मिंज की संविदा नियुक्ति की अवधि में क्रमश: एक-एक वर्ष की वृद्धि की गई थी. श्री मिंज की सेवा अवधि दिनांक 31-05-2014 को समाप्त हो जावेगी.

2. अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त, राज्य प्रशासनिक सेवा, को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानानुसार पुन: कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल चौधरी**, उप-सचिव.

## गृह-सी विभाग
## (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2014

### विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2014 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-54/गृह-सी/परीक्षा/2014.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 04 अगस्त, 2014 से 11 अगस्त, 2014 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

**सोमवार, दिनांक 04-08-2014**

| क्रमांक (1) | प्रश्न पत्र (2) | समय (3) |
|---|---|---|
| 1. | पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए. | |
| 2. | पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) | |
| 3. | विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 4. | विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित) | |
| 5. | पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये | |
| 59. | विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के) | |

**सोमवार, दिनांक 04-08-2014**

| क्रमांक (1) | प्रश्न पत्र (2) | समय (3) |
|---|---|---|
| 6. | दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 7. | दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. | दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. |
| 8. | समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 60. | भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के) | |

**मंगलवार, दिनांक 05-08-2014**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 9. | पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 10. | पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी". | |
| 11. | पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी". | |
| 12. | उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 13. | प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 14. | लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के). | |
| 61. | विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के) | |

**मंगलवार, दिनांक 05-08-2014**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 15. | दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 16. | प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) | |
| 17. | तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये | दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. |
| 18. | समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 19. | लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) | |
| 62. | लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के) | |

**बुधवार, दिनांक 06-08-2014**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 20. | तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |

**बुधवार, दिनांक 06-08-2014**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 21. | पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) | |
| 22. | प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये | |
| 23. | पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 24. | पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक शाखा" प्रश्न पत्र | |
| 63. | स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के) | |
| | **बुधवार, दिनांक 06-08-2014** | |
| 25. | कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 26. | सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 27. | पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) | |
| 28. | दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये. | |
| 29. | तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये. | दोपहर 2:00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. |
| 30. | स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 31. | चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. | |
| 32. | समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 64. | विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के) | |
| | **गुरुवार, दिनांक 07-08-2014** | |
| 33. | प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. | |
| 34. | प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 35. | प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. | |

गुरुवार, दिनांक 07-08-2014

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 36. | प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 37. | लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 38. | लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 39. | लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 40. | लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| | **गुरुवार, दिनांक 07-08-2014** | |
| 41. | लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 42. | द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. | दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. |
| 43. | द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 44. | द्वितीय प्रश्न [illegible] लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| | **शुक्रवार, दिनांक 08-08-2014** | |
| 45. | सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये. | |
| 46. | प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के) | |
| 47. | प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये. | |
| 48. | प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 49. | प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) | |
| 50. | द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये | |
| 65. | पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. | |

**शुक्रवार, दिनांक 08-08-2014**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 51. | सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) | |
| 52. | प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 53. | सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित) | |
| 54. | तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये | दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. |
| 55. | द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये. | |
| 56. | द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये | |
| 57. | प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित) | |
| | **शनिवार, दिनांक 09-08-14 एवं रविवार 10-08-14 को शासकीय अवकाश** | |
| | **सोमवार, दिनांक 11-08-2014** | प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक. |
| 58. | हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये | |

**नोट :-**

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-10[illegible]/दो-ए (3) के [illegible]यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य [illegible]

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये [illegible] कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 20-07-2014 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक जुनेजा**, सचिव.

---

## राजस्व विभाग

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 9 जून 2014

क्रमांक/03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बेमेतरा | नवागढ़ | खटई प.ह.नं. 21 | 3.70 | कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा. | गोढ़ीकला जलाशय योजना के डूबान में प्रभावित. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक/1638/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बड़गांव, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.198 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 569/2 | 0.258 |
| | 532/1 | 0.077 |
| | 530/1 | 0.324 |
| | 526/20 | 0.088 |
| | 526/6 | 0.088 |
| | 473/4 | 0.190 |
| | 474 | 0.234 |
| | 477 | 0.002 |
| | 478 | 0.110 |
| | 475 | 0.025 |
| | 532/2 | 0.320 |
| | 532/3 | 0.482 |
| योग | 12 | 2.198 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक/4006/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-मासूलकसा, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.801 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 114 | 0.040 |
| | 341 | 0.453 |
| | 352 | 0.308 |
| योग | 3 | 0.801 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक/4007/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-परेवाडीह, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.150 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 267 | 0.150 |
| 269 | 0.594 |
| 271 | 0.983 |
| 264 | 0.708 |
| 263 | 0.409 |
| 262 | 0.392 |
| 261 | 0.776 |
| 260 | 0.749 |
| 256 | 0.137 |
| 89 | 0.400 |
| 80 | 0.008 |
| 72 | 0.081 |
| 61 | 0.044 |
| 60 | 0.315 |
| 59 | 0.081 |
| 58 | 0.470 |
| 36 | 0.846 |
| 63/2, 63/4 | 1.397 |
| 34 | 0.610 |
| योग 19 | 9.150 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, [illegible] 1 मई 2014

क्रमांक/4008/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का [illegible] हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूम की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-धोबनी, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.003 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 9/1 | 0.620 |
| 124/1 | 1.035 |
| 100 | 0.020 |
| 64/7 | 0.153 |
| 102 | 0.040 |
| 103 | 0.080 |
| 86/1 | 0.080 |
| 85 | 0.020 |
| 72/4 | 0.101 |
| 78/2 | 0.150 |
| 80/9 | 0.060 |
| 78/1 | 0.384 |
| 68 | 0.243 |
| 77 | 0.324 |
| 76/3 | 0.040 |
| 67 | 0.255 |
| 66 | 0.259 |
| 71 | 0.120 |
| 70 | 0.012 |
| 64/4 | 0.121 |
| 64/2 | 0.040 |
| 64/5 | 0.045 |
| 64/6 | 0.073 |
| 65 | 0.040 |
| 64/1 | 0.360 |
| 63/1 | 0.765 |
| 69/1 | 0.414 |
| 60 | 0.283 |
| 61 | 0.129 |
| 63/3 | 0.012 |
| 58 | 0.040 |
| 109/1 | 0.012 |
| 63/2 | 0.324 |
| 69/3 | 0.214 |
| 108/6 | 0.061 |
| 108/7 | 0.004 |
| 108/3 | 0.004 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 108/4 | 0.053 |
| | 108/5 | 0.077 |
| | 108/1 | 0.048 |
| | 80/10 | 0.081 |
| | 72/2 | 0.080 |
| | 72/1 | 0.081 |
| | 72/3 | 0.101 |
| | 62/2 | 0.129 |
| | 124/2 | 1.416 |
| योग | 46 | 9.003 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अशोक कुमार अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक/3167/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पेन्ड्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.55 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 909/3 | 0.26 |
| | 909/4 | 0.24 |
| | 894 | 0.39 |
| | 888 | 0.24 |
| | 889 | 0.16 |
| | 890 | 0.15 |
| | 976 | 0.05 |
| | 974 | 0.09 |
| | 987 | 0.03 |
| | 965 | 0.15 |
| | 972 | 0.09 |
| | 971 | 0.05 |
| | 988 | 0.01 |
| | 970 | 0.01 |
| | 966/2 | 0.10 |
| | 966/1 | 0.15 |
| | 936 | 0.04 |
| | 935 | 0.34 |
| योग | 18 | 2.55 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक/3168/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-घुटरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.09 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 1594 | 0.06 |
| 1595 | 0.24 |
| 1367 | 0.04 |
| 1566/2 | 0.02 |
| 1566/1 | 0.03 |
| 1567 | 0.02 |
| 1569 | 0.03 |
| 1465 | 0.05 |
| 1568 | 0.07 |
| 1556/1 | 0.03 |
| 1562 | 0.06 |
| 1342 | 0.09 |
| 1354 | 0.05 |
| 1341 | 0.08 |
| 1340 | 0.04 |
| 1339 | 0.02 |
| 1361/1 | 0.08 |
| 1337 | 0.01 |
| 1336 | 0.01 |
| 1335 | 0.13 |
| 1355/1 | 0.07 |
| 1375 | 0.13 |
| 1531 | 0.04 |
| 1535 | 0.18 |
| 1468 | 0.08 |
| 1530 | 0.09 |
| 1507 | 0.01 |
| 1508 | 0.01 |
| 1509 | 0.03 |
| 1464 | 0.02 |
| 1462 | 0.01 |
| 1461 | 0.01 |
| 1506 | 0.03 |
| 1452 | 0.02 |
| 1451 | 0.01 |
| 1450 | 0.02 |
| 1431 | 0.03 |
| 1449 | 0.01 |
| 1745 | 0.02 |
| 1746 | 0.07 |
| 1747/1 | 0.03 |
| 1466 | 0.01 |
| योग 42 | 2.09 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक/3169/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-मनेन्द्रगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलबा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
| --- | --- |
| (1) | (2) |
| 237 | 0.06 |
| 236 | 0.07 |
| 233 | 0.05 |
| 229/1 | 0.24 |
| 32/5 | 0.02 |
| योग 5 | 0.44 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुटरा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 27 मार्च 2014

क्रमांक/प्र.क्र. 01/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बेमेतरा

(ख) तहसील-बेरला

(ग) नगर/ग्राम-करामाल, प.ह.नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 23 | 0.08 |
| | 24 | 0.23 |
| | 585 | 0.13 |
| | 586 | 0.17 |
| | 587 | 0.08 |
| योग | 5 | 0.69 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ए.डी.बी. अंतर्गत रायपुर उरला पठारीडीह बेरला कोदवा मार्ग का चौड़ी करण एवं उन्नयीकरण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बसवराजु एस.**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कलेक्टर (खनिज), कबीरधाम, छत्तीसगढ़

कबीरधाम, दिनांक 10 जून 2014

**खनि रियायत हेतु खुला क्षेत्र घोषणा**

क्रमांक/202/ख.लि./2014.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कबीरधाम (छ.ग.) में नीचे तालिका में दर्शित क्षेत्र छ.ग. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत् इस विज्ञप्ति के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 30 दिवस पश्चात् खनि रियायत प्राप्त करने हेतु उपलब्ध होगा.

| क्र. | जिला | तहसील | ग्राम | ख.क्र. | रकबा | खनिज | भूमि मद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कबीरधाम | स/लोहारा | रणजीतपुर | 597 | 14.20 में से 5.00 एकड़ | गौण खनिज चूना पत्थर | शासकीय पहाड़ चट्टान |

**नोट** - वर्णित क्षेत्रफल में श्रीमति स्वाती चन्द्रनाहू, निवासी बीरेन्द्रनगर जिला कबीरधाम को खदान स्वीकृत रही है.

**पी. दयानन्द,**
कलेक्टर.